Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

रामेहर बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– 131, 136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा 59 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/03/2021	आज यह पत्रावली पेश हुई। अवलोकन किया गया । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी रामेहर पुत्र फूलसिंह पुत्र छाजुराम जाति जाट निवासी धिराय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 एलआरए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही मौजा बीड संगरेउ के खाता संख्या 32 संवत् 2067–2070 में खसरा नम्बर 76/1 तादादी 80 बीघा , 76/2 में तादादी 2.15 बीघा कुल 82.15 बीघा रकबा था। जिसमें से 9.02 बीघा खसरा नम्बर 76/1 से कम कर चक एक एमजीडी में शामिल होने का अंकन है वर्तमान में खसरा नम्बर 76/1 में 70–18 बीघा व खसरा नम्बर 76/2 में 2.15 बीघा कुल 73.13 बीघा साझा खातेदारी दर्ज हैं जिसमें 46–10 बीघा रामेहर प्रार्थी के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 23 में 255/71 भी दर्ज है 6.18 बीघा नया सेटलमेन्ट होने के बाद नया सर्वे रिकार्ड मुताबिक जमाबन्दी 2071–2074 में शामिल नहीं किया गया हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार लूनकरनसर से रिपोट तलब की गई। तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रोही ग्राम बीड संगरेउ की जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 में प्रारंभ में खसरा नम्बर 76/1 में 80 बीघा व खसरा नम्बर 76/2 में 2.15 बीघा कुल 82.15 बीघा दर्ज थी बाद में खसरा नम्बर 76/1 में 70.18 बीघा व खसरा नम्बर 76/2 में 2.15 बीघा शेष बचा तथा 9.02 बीघा रकबा चक 1 एमजीडी में शुमार हुआ जो इस जमाबन्दी में कम कर दिया गया। मुताबिक खाता संख्या 32 में 73.13 बीघा रकबा मे से प्रार्थी के नाम 46.10 बीघा सह खातेदारान के रूप में दर्ज है व शेष अन्य के नाम दर्ज है जिसकी फर्द पृथक से संलग्न की है इसी प्रकार खाता संख्या 23 में खसरा नम्बर 255/71 में 6.18 बीघा बारानी रकबा प्रार्थी रामेहर वल्द फूलसिंह वल्द छाजुराम कौम जाट निवासी धिराय के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं। हाल खसरा नम्बर 71 व 76 रोही बीडसंगरेउ की दक्षिण पासे में चक 1 एमजीडी स्थित है तथा दोनो मूल खसरा आंशिक रूप से चक 1 एमजीडी में शामिल होते है पूर्ण रूप से नहीं। खसरा नम्बर 71 व 76 के चिपते उत्तरी पासे के सम्पूर्ण खसरा वर्तमान सेटलमेंट में शामिल किये गये है जबकि 71 व 76 का सम्पूर्ण रकबा छोड़ दिया गया हैं। इस प्रकार छोडे गये खसरा नम्बर 255/71 की तादादी 6.18 बीघा तथा खसरा नम्बर 76/1 की तादादी 70.18 बीघा व खसरा नम्बर 76/2 की 2.15 बीघा रकबा वर्तमान में रोही ग्राम बीडसंगरेउ में स्थित है लेकिन जमाबन्दी में शामिल नहीं है जिसे शामिल किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थी द्वारा बतौर साक्ष्य जमाबन्दी ग्राम बीडसंगरेउ सम्वत् 2067–2070 खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 76/1 की 80 बीघा व 76/2 की 2.15 बीघा, खाता संख्या 23 में खसरा नम्बर 255/71 तादादी 6.18 बीघा नक्शा पुराना खसरा नम्बर 76/1 व 76/2 व नया नक्शा की प्रमाणित प्रतियां पेश की। हमने तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट फर्द मौका जमाबन्दी संवत् 2067–2070 से 2071–2074 व नक्शा नये व पुराने का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई नयी जमाबन्दी में गत खातेदार खसरा नम्बर 76/1, 76/2 व 255/71 को शामिल नहीं किया गया है जो संलग्न प्रस्तुत जमाबन्दी व [illegible] अनुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा रकबा की जमाबन्दी में शामिल नही किय[illegible] मूल है जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ[illegible] धारा [illegible]1 व 136 एलआरएए स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार लूनकरनसर [illegible] खाता संख्या [illegible]3 सम्वत रोही मौजा बीडसंगरेउ की जमाबन्दी में छोडे गये खातेदार [illegible] इसी अ[illegible]र तरमीम 2067–70 के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में अंकन करे व नये नक्शा में करे। इस आदेश की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार को प्रेषित हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश दिनांक 12/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । (भागीरथ शाख) उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:34:32 IST
Reason: SelfAttested